राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 165/2025

अंजीता गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, गंगापुर सिटी।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बामनवास, गंगापुर सिटी।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सितोर, बामनवास, गंगापुर सिटी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2025
आदेश की दिनांक : 23.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान , अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को 04.12.2023 से 28.02.2024 (87 दिन) और 01.03.2024 से 14.05.2024 (75 दिन) तक अपने दो नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए आवेदित चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं की गई। अपीलार्थी ने चाइल्ड केयर लीव के लिए अपना आवेदन 27.11.2024 और XXX तारीख को प्रस्तुत किया, हालांकि, प्रत्यर्थी विभाग इसे स्वीकृत करने में विफल रहा है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी वर्ष 2019 में विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त हुई थी। अपीलार्थी के दो जीवित बच्चे हैं। अपीलार्थी अपने दोनों बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव की मांग कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), गंगापुर सिटी ने अपने पत्र दिनांक 04.12.2024 द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बामनवास, गंगापुर सिटी को अपीलार्थी के आवेदन पर 3 दिवस की अवधि के भीतर यथाशीघ्र निर्णय करने के निर्देश दिए। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए आवेदन दायर किया है, जो चिकित्सा संबंधी समस्याओं जैसे पीठ दर्द से जूझ रहे हैं। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी आरएसआर, 1951 के नियम 103सी के अनुसार 730 दिनों की अवधि के लिए सीसीएल अवकाश का हकदार है। शालिनी धर्मत बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के हालिया मामले में भारत के सर्वोच्च

न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 16864/2021, दिनांक 22.04.2024 के आदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य को कामकाजी माताओं के लिए चाइल्ड केयर लीव पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि वे अपने बच्चों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, विशेष रूप से विशेष जरूरतों/विकलांगता वाले बच्चों की जरूरतों पर विचार करते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीसीएल का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसके दो नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए दिनांक 04.12.2023 से 28.02.2024 (87 दिन) और दिनांक 01.03.2024 से 14.05.2024 (75 दिन) हेतु आवेदित चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के निर्देश दिए जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाइल्ड केयर लीव हेतु आवेदन करने पर प्रत्यर्थी विभाग प्रस्तुत आवेदन पर आवेदित अवकाश हेतु आवेदित तिथी से पूर्व को निर्णय नहीं लिया जाकर लम्बित रखा गया एवं अभी भी दोनों अवकाश आवेदन लम्बित होना प्रतिवेदित है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक गंगापुर सिटी द्वारा भी खण्ड मुख्य शिक्षा अधिकारी बामनवास को लम्बित आवेदनों की निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। (अनुलग्नक–2) इसके उपरान्त भी प्रकरण लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग का यह दायित्व है कि अवकाश आवेदनों का नियत समय पर निस्तारण किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी ने लम्बित अवकाश आवेदनों की स्वीकृति हेतु प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है जिसे निस्तारित करने एवं अवकाश स्वीकृति हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे।

हम पो है कि आवेदित अवकाश अवधि से पूर्व अवकाश प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं करके लम्बित रखना अनुचित है। अतः इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं अवकाश आवेदनों को 2 सप्ताह की अवधि में निर्णित किया जावे एवं इसकी सूचना अपीलार्थी को सम्यक रूप से दी जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)